

आयकर निदेशक (पूट)

आयकर विभाग, दिल्ली

न्यास का नाम: इन्डोम फूड रिलीफ फाउंडेशन
Name of the Trust: Indocon Food Relief Foundation
पता: एच.एम.डी. रोड
पुणे, गुजरात-390 049


आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रमाणपत्र

न्यास विलेख / संस्था के शासन द्वारा दिनांक 23-04-2004 को उक्त संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2A(a) के अधीन विहित प्रपत्र में दिनांक 03-08-04 को पंजीकरण हेतु आवेदन किया। यह आवेदन पंजीकरण हेतु प्रगती समय सीमा (23-04-04) के भीतर दाखिल किया गया है।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A(a) के अधीन रखे गए आवेदन पत्र रजिस्टर में न्यास / संस्था का नाम आई.एन.एस्. 38 (15) द्वारा पंजीकृत किया गया है।
3. न्यास / संस्था के विलेख (deed) में कोई परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया अर्थात् दंडाधिकार स्थित उच्च न्यायालय के आदेश के बिना नहीं किया जायेगा और इसकी सूचना उक्त कार्यालय को तत्काल दी जायेगी।
4. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 AA के अधीन पंजीकरण न्यास या संस्था की आय को अपने आप पूट नहीं देता इस आदेश द्वारा पंजीकरण की वेबल रीटान्तिक मजूरी दी जा रही है इस पंजीकरण के होने हुए भी न्यास या संस्था की आय की करदेयता का प्रश्न - निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था की परिस्थितियों विभिन्न कानूनी एवं अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन के आधार पर परीक्षण एवं निर्धारण के परतात् - तय किया जायेगा।
5. आयकर अधिनियम 1961, की धारा 12 AA के अधीन पंजीकरण दायताता को धारा 80 जी के अन्तर्गत कटौती का अपने आप कोई अधिकार प्रदान नहीं करता।
6. इस प्रमाणपत्र को न्यास या संस्था के संबंधित निवेश के बारे में कर की कटौती न करने की बात का अस्वर नहीं बनाया जायेगा।
7. संस्था या न्यास ने स्वामी लेखा सञ्जा(PAN)के लिए आवेदन नहीं किया है तो उसे स्था.ले.स.के लिए आवेदन करना होगा और संस्था के समस्त परिवार में स्था.ले.स.का उल्लेख करना होगा।
8. अधिनियम के अधीन दी गई सुविधा के अंदर प्रत्येक वर्ष न्यास या संस्थान को विवरणी दाखिल करनी होगी।

दिनांक: 02-09-04

प्रतिलिपि - 1.) आयकर, 2.) उच्च आ.वि. (ए) सेण./1.11. मुंबई.



(स्वतंत्र कुमाक)

आयकर निदेशक (पूट), मुंबई.

(प. द. यादव)

आयकर अधिकारी (मुख्यालय),
केंद्र आयकर निदेशक (पूट), मुंबई.